



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-837/911

नवा रायपुर, दिनांक 26/03/2021

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर

विषय :- Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II "Manendragarh Division" Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 5.612 ha. regarding.

पंजीयन क्रमांक/ FP/CG/OFC/ 43276/ 2019

- संदर्भ:-**
1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 05-08/ 2021/10-2 दिनांक 02.03.2021
 2. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त का पत्र क्रमांक/ मा. वि./ न. क्र.-130/ 2020/ 592 दिनांक 23.03.2021

※※※※※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र -1 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा 3 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई थी।

मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर द्वारा संदर्भित पत्र-2 के माध्यम से बिन्दुवार जानकारी इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	बिन्दु क्रमांक	पालन प्रतिवेदन
1.	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्रमांक-11 में घनत्व 0.6 दर्शाया गया है, जबकि प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 53 (वन मंडलाधिकारी की अनुशंसा संबंधी भाग-2) के बिन्दु क्रमांक vi में घनत्व 0.6 से अधिक लेख है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 53 (वन मंडलाधिकारी की अनुशंसा संबंधी भाग-2) के बिन्दु क्रमांक vi में घनत्व 0.6 है। भाग-2 की प्रति संलग्न है (संलग्नक-1)।
2.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 53 से 55 में वन मंडलाधिकारी के द्वारा प्रदाय की जाने वाली भाग-2 संबंधी प्रपत्र में वन मंडलाधिकारी द्वारा बिन्दु क्रमांक-7 में अपनी स्पष्ट अनुशंसा अंकित नहीं की गई है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 53 से 55 में वन मंडलाधिकारी के द्वारा प्रदाय की जाने वाली भाग-2 संबंधी प्रपत्र में वन मंडलाधिकारी द्वारा बिन्दु क्रमांक 7 में स्पष्ट अनुशंसा अंकित कर संलग्न है (संलग्नक-2)।
3.	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 58 से 64 में वन मंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन "प्रपत्र-3" के बिन्दु क्रमांक 12 में "हों" अथवा "न" में टीप अंकित किया जाना था, जिसमें निरंक लेख किया गया है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 58 से 64 में वन मंडलाधिकारी के स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन "प्रपत्र-" के बिन्दु क्रमांक 12 में अपेक्षित टीप अंकित कर संलग्न है (संलग्नक-3)।

उपरोक्तानुसार मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर से प्राप्त बिन्दुवार जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


(सुनील मिश्रा)
अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115- 837/ 912

रायपुर, दिनांक 26/03/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़।
2. वन मंडलाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ वन मंडल, मनेन्द्रगढ़, छत्तीसगढ़।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), सिविल लाईन, रायपुर।


अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / वं. स. अ)
छत्तीसगढ़